प्रेस नोट

थाना रक्सा, झांसी

दिनाँक 20.08.2026

- **जनपद झाँसी पुलिस द्वारा अपराधों की रोकथाम एवं वाँछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु की जा रही प्रभावी कार्यवाही,**
- **थाना रक्सा पुलिस व स्वाट/सर्विलांस टीम द्वारा हत्या के प्रयास व लूट के अभियोग से संबंधित 04 अभियुक्तगण को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया,**
- **कब्जे से कुल 02 देशी तमंचा 315 बोर, कुल 03 खोखा कारतूस 315 बोर, कुल 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर, 11 हजार रुपए नकद व 01 चारपहिया वाहन बरामद,**

कृपया अवगत कराना है कि अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर श्रीमती अनुपम कुलश्रेष्ठ एवं पुलिस महानिरीक्षक, झाँसी परिक्षेत्र, झाँसी श्री आकाश कुलहरि के मार्गदर्शन तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, झाँसी श्री बी.बी.जी.टी.एस. मूर्ति के कुशल निर्देशन में जनपद झाँसी में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 20.08.2026 को थाना रक्सा पुलिस व स्वाट/सर्विलांस टीम द्वारा मु0अ0सं0- 176/2026 धारा 109(1) बीएनएस से संबंधित 04 अभियुक्तगण-1. मंगल सिंह जाट पुत्र नारायण सिंह जाट निवासी- कजका, थाना- गोदन, जिला दतिया(म0प्र0) 2. लोकेन्द्र साहू उर्फ लिटिल पुत्र अशोक साहू उम्र 32 वर्ष निवासी- मोहल्ला वार्ड नं0 7 काडेर रोड इन्दरगढ़ जिला दतिया (म0प्र0) 3. भूपेन्द्र सिंह पुत्र रणधीर सिंह उम्र 38 वर्ष निवासी- धर्मकोर्ट थाना वक्सी वासा जिला- पटियाला(पंजाब) 4. ब्रिजकिशोर धाकड़ पुत्र रामस्वरूप उम्र 50 वर्ष निवासी- रऊआ जीवन थाना- इन्दरगढ़ जिला- दतिया(म0प्र0) को रक्सा टोल के आगे नयाखेड़ा रोड के पास से पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण द्वारा पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गयी। पुलिस टीम द्वारा जवाबी फायरिंग में अभियुक्तगण मंगल सिंह जाट उपरोक्त व लोकेन्द्र साहू उर्फ लिटिल उपरोक्त को क्रमशः दाहिने व बाएं पैर में गोली लगने से वे घायल हो गए, जिनको जीवनरक्षार्थ हेतु अस्पताल भिजवाया गया है तथा उनके अन्य 02 साथी भूपेन्द्र सिंह व ब्रिजकिशोर धाकड़ उपरोक्त को भी गिरफ्तार कर लिया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण के कब्जे से 02 देशी तमंचा 315 बोर, कुल 03 खोखा कारतूस 315 बोर, कुल 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर, 11 हजार रुपए व 01 चारपहिया वाहन बरामद किए गए। पुलिस मुठभेड़/गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना रक्सा में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

संक्षिप्त विवरणः-

सादर अवगत कराना है कि दिनांक 18.08.2026 को वादी श्री गब्बर पुत्र स्व0 चैनू निवासी- गनेशगढ़ कसोधन, थाना रक्सा, जनपद झांसी द्वारा थाना रक्सा पर प्रार्थना पत्र देते हुए अवगत कराया कि कि उसका भाई रिन्कू प्रजापति पुत्र स्व0 चैनू का आनन्द पेट्रोल पम्प ग्राम डगरवाहा के सामने ऑनलाइन मनी ट्रांसफर एवं फास्टैग की दुकान लिए हुए है। दिनांक 17.08.2026 को शाम करीब 08:00 से 08:30 बजे के मध्य एक सफेद रंग की चार पहिया कार, जिसका नम्बर अज्ञात है, दुकान पर आई, जिसमें 03-04 अज्ञात व्यक्ति सवार थे। उक्त व्यक्तियों में से किसी एक व्यक्ति द्वारा उसके भाई से कुछ धनराशि UPI/ऑनलाइन माध्यम से ट्रांसफर कराई गई। रिंकू द्वारा ट्रांसफर की गई धनराशि मांगने पर उक्त व्यक्तियों द्वारा रिंकू को जान से मारने की नीयत से जबरदस्ती गाड़ी में खींचने का प्रयास किया गया। विरोध करने पर अभियुक्तों द्वारा रिंकू को गाड़ी के बाहर लटकाकर वाहन को आगे बढ़ा दिया गया तथा करीब 300 मीटर तक घसीटने के बाद उसे चलती गाड़ी से नीचे फेंक दिया गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना

पर परिजन एवं थाना पुलिस मौके पर पहुँचे। घायल को एम्बुलेंस की सहायता से राजकीय मेडिकल कॉलेज झाँसी लाया गया, जहाँ से वर्तमान में उसका उपचार शंकर हॉस्पिटल झाँसी में चल रहा है।

वादी से प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना रक्सा पर मु0अ0सं0- 176/2026 धारा 109(1) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था। प्रकरण के संबंध में थाना रक्सा पुलिस द्वारा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु सार्थक प्रयास किए जा रहे थे। उपरोक्त अभियोग में विवेचना के दौरान धारा 309(6) की बढ़ोत्तरी की गयी।

इसी क्रम में आज दिनांक 20.08.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना रक्सा पुलिस द्वारा रक्सा टोल के आगे नयाखेड़ा रोड के पास अभियुक्तगण की घेराबंदी की गई। इस दौरान अभियुक्तगण द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी गई। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी फायरिंग में 02 अभियुक्तगण के पैर में गोली लगने से वे घायल हो गए। जिनको जीवनरक्षार्थ हेतु तत्काल अस्पताल भिजवाया गया।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण</u> –

01. मंगल सिंह जाट पुत्र नारायण सिंह जाट निवासी- कजका, थाना- गोदन, जिला दतिया(म0प्र0)
02. लोकेन्द्र साहू उर्फ लिटिल पुत्र अशोक साहू उम्र 32 वर्ष निवासी- मोहल्ला वार्ड नं0 7 काडेर रोड इन्दरगढ़ जिला दतिया (म0प्र0)
03. भूपेन्द्र सिंह पुत्र रणधीर सिंह उम्र 38 वर्ष निवासी- धर्मकोर्ट थाना वक्सी वासा जिला- पटियाला(पंजाब)
04. ब्रिजकिशोर धाकड़ पुत्र रामस्वरूप उम्र 50 वर्ष निवासी- रऊआ जीवन थाना- इन्दरगढ़ जिला- दतिया(म0प्र0)

<u>बरामदगी का विवरण –</u>

1. 02 देशी तमंचा 315 बोर,
2. कुल 03 खोखा कारतूस 315 बोर,
3. कुल 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर,
4. 11 हजार रुपए व
5. 01 चारपहिया वाहन

<u>गिरफ्तारी करने वाली टीम</u> –

- प्रभारी निरीक्षक थाना रक्सा मय पुलिस टीम
- प्रभारी निरीक्षक स्वाट/सर्विलांस मय टीम